# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—94/2017/223 (2017/00094)**

1. सुखदेव पुत्र स्व0 रामदयाल, जाति माली, निवासी ग्राम बड़गांव, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. कमला पुत्र स्व0 रामदयाल, जाति माली, निवासी ग्राम जालिया—2, तह0 बिजयनगर, जिला अजमेर ।
2. भूला पुत्री स्व0 रामदयाल,
3. बजरंगलाल पुत्र स्व0 रामदयाल,
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम बड़गांव, तह0 भिनाय, जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय, दिनांक 29.12.2016 अंतर्गत वाद संख्या 39/2014.**

**उपस्थितः—**

1. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील अपीलांट।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 .
3. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थि ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4.

## निर्णय

**दिनांकः— 28.6.2019**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बड़गांव स्थित आराजी खसरा नंबर 1026, 1027, 1028, 1030, 1670, 1694, 1697, 1698, 1851 वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 के पिता स्व0 रामदयाल पुत्र भूला माली के उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई है लेकिन वादीयागण की मृत्यु के पश्चात् विरासती नामांतकरण संख्या 37 दिनांक 10.1.1997 में वादीगण का नाम अंकित नहीं किया गया । वही भू—प्रबंध विभाग के द्वारा स्वतः ही वादीयागण भूला व कमला का विवादित भूमियों में 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 3 व

अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 का 5/6 हिस्सा दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है ।वादीगण एवं प्रतिवादी स्व0 रामदयाल की जायंदा संताने होने के कारण भाई–बहिन है जिनके मध्य विधिवत् रूप से कोई बंटवारा नहीं हुआ है । अतः वाद पत्र में वर्णित आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बहिस्सा बराबर–बराबर बंटवारा किया जावे । उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया और नोटिस प्रतिवादीगण को जारी किये गये । प्रतिवादी संख्या 2/अपीलांट के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । दौराने वाद राजस्व कैम्प के अंतर्गत उपरोक्त को ग्राम पंचायत बड़गांव में लोक अदालत कैम्प के तहत आपसी सहमति दर्शाते हुए दिनांक 29.12.2016 को डिक्री कर दिया गया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष उपरोक्त वाद प्रस्तुत होने के पश्चात् अधी0न्याया0 द्वारा लोक अदालत कैम्प बड़गांव में प्रकरण रखा गया और निर्णय में यह अंकित किया गया है कि अपीलांट द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बड़गांव की उपस्थिति में लिखित तहरीर प्रतिवाद के रूप में पेश कर वाद को डिक्री किया जाना स्वीकार किया और विभाजन किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जबकि अपीलांट के द्वारा किसी भी प्रकार की सहमति नहीं दी गई थी और न ही अपीलांट ने बंटवारा करने बाबत् कथन कहे थे । अधी0न्याा0 का निर्णय वास्तविकता से परे है । इस संबंध में अपीलांट ने शपथ पत्र भी पेश किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा वादपत्र में दर्शाये गये कथनों का विरोध किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 50 में दर्ज खसरा नंबर 1026, 1027, 1028, 1030, 1670, 1694, 1697, 1698, 1851 बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें वादीगण का 1/6 हिस्सा व अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 का 5/6 हिस्सा दर्ज है । उपरोक्त हिस्से को अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2016 में परिवर्तित करते हए अधी0न्याया0 द्वारा 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया और इसी अनुरूप बंटवारा करने का आदेश भी पारित कर दिया जा विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को वादिया एवं उसके स्वतंत्र गवाहों से जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2016 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.3.2017 को जब रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा वादग्रस्त आराजियात पर आकर भूमि को नपवाने की कोशिश की गई तब हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी होने पर अधी0न्याया0 के निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब

सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात स्व0 रामदयाल पुत्र धूला माली की थी। अपीलांटस एवं रेस्पो0 आपस में सगे भाई–बहिन है जिन्हें विवादित आराजियात विरासत से प्राप्त हुई थी लेकिन विरासत नामांतकरण संख्या 37 दिनांक 18.1.1997 में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का नाम अंकित नहीं किया गया तत्पश्चात् भू–संशोधन विभाग द्वारा स्वतः ही वादीगण/रेस्पो0 का विवादित भूमियों में 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी/अपीलांट का 5/6 हिस्सा दर्ज कर दिया जो विधिविरूद्ध था जबकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार रामदयाल की जायंदा पुत्रियां होकर उनका भी विवादित आराजियात में बराबर–बराबर हक व हिस्सा है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस ने सरपंच ग्रामपंचायत बड़गांव की उपस्थिति में लिखित तहरीर प्रतिवाद के रूप में पेश कर वाद को स्वीकार करने तथा विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं की है । अधी0न्याया0 ने उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर ही वाद को कैम्प में निर्णित किया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । वैसे भी किसी भी प्रकरण में जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना न्यायोचित एवं उचित समझते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत, बड़गांव के समक्ष किसी प्रकार की लिखित तहरीर प्रतिवाद के रूप में वाद को स्वीकार किये जाने के संबंध में पेश नहीं की थी । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को जवाबदावा, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा वाद में तनकियात कायम किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रवितादी संख्या 3 राज्य सरकार द्वारा प्रतिवाद पत्र पेश किया गया था । अधी0न्याया0 को चाहिये था कि अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में विवाद बिन्दु कायम कर वाद को तनकीवार निर्णित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद को सरसरी तौर पर वादी/रेस्पो0 के वाद कथनों के आधार पर निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

9. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 29.12.2016 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये विवेचन के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है

कि वे अपीलांट/प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक विवाद बिन्दु कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को तनकीवार निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

11. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**